कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर, 04–सुभाष रोड़ देहरादून।

टेलीफोन– 0135–2713551, 2713552 एवं 2713724

Email ID = election09@gmail.com & ceo_uttaranchal@eci.gov.in

संख्या– 265 /XXV – 01 / 2024 दिनांकः देहरादून 18 जनवरी, 2024

–: कोटेशन आमंत्रण सूचना :–

1.	कार्य का नाम	लोक सभा के आगामी सामान्य निर्वाचन हेतु मतदेय स्थलों के प्रयोगार्थ स्पेशल ऐड्रस टैग की छपाई–आपूर्ति।
2.	कोटेशन आमंत्रणकर्ता प्राधिकारी का पदनाम एवं कार्यालय का पता।	मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर, सुभाष रोड़, देहरादून।
3.	इच्छुक आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा सील्ड लिफाफे में कोटेशन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय।	दिनांक 30 जनवरी, 2024 अपरान्ह 02:30 बजे तक

लोक सभा के आगामी सामान्य निर्वाचन हेतु कंट्रोल यूनिट के क्लोज सैक्शन को सील किए जाने के लिए प्रयुक्त होने वाले स्पेशल ऐड्रस टैग की छपाई–आपूर्ति हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्ता फर्मो से **दिनांक 30 जनवरी, 2024 को अपरान्ह 02:00** बजे तक निर्धारित प्रारूप में फर्म के लैटर हेड पर सील्ड लिफाफे में कोटेशन आमंत्रित की जाती है। लिफाफे के शीर्ष में **"स्पेशल ऐड्रस टैग की छपाई–आपूर्ति हेतु कोटेशन"** स्पष्ट लिखा होना चाहिए। तथा फर्म का नाम एवं पूरा पता भी लिफाफे की बांयी ओर नीचे साफ–साफ मुद्रित अथवा हस्त लिखित या तदनुसार विवरण सहित फर्म की मुहर लगी होनी चाहिए। कोटेशन प्रस्तुतकर्ता फर्म का जी.एस.टी. तथा पैन नम्बर होना अनिवार्य है। फर्म के जिस लैटर हेड पर कोटेशन प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें जीएसटी नम्बर तथा पैन नम्बर अंकित होना चाहिए। यदि किसी कोटेशन में जीएसटी नम्बर तथा पैन नम्बर नहीं पाया जाएगा तो ऐसे किसी भी कोटेशन को अस्वीकृत किया जाएगा।

2– लोक सभा के आगामी सामान्य निर्वाचन हेतु कुल–50,000.00 (पचास हजार मात्र) स्पेशल ऐड्रस टैग की आवश्यकता होगी, जिसका तकनीकी विवरण निम्न प्रकार है :–

1. स्पेशल एड्रस टैग कम से कम 180 GSM के सफेद कार्ड पेपर में तैयार किया जायेगा। एड्रस टैग का साईज 6X5 सेमी. होगा। स्पेशल एड्रस टैग निम्न प्रकार से Die Cut कर तैयार करना होगा :–

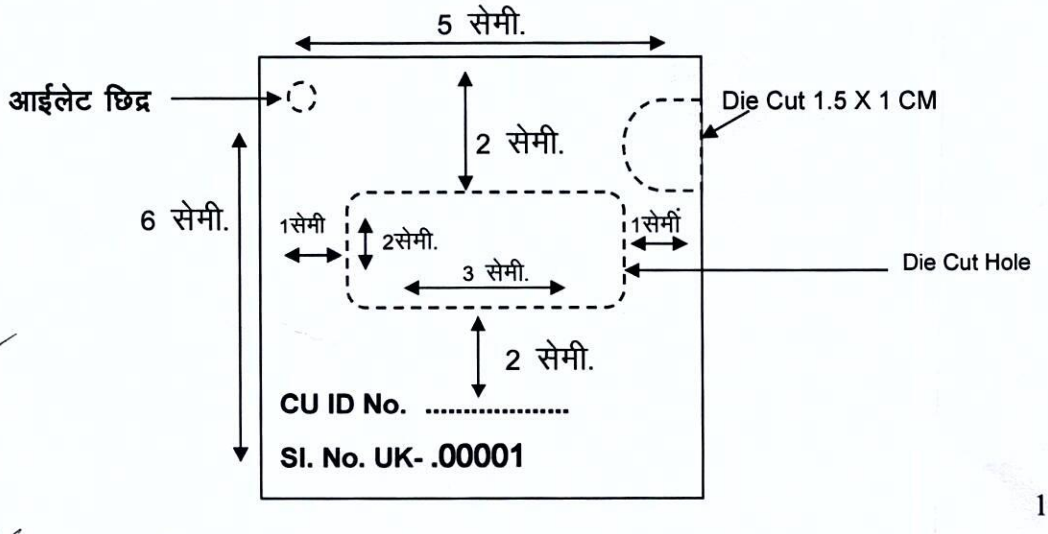

2. उपरोक्त चित्र के अनुसार स्पेशल एड्रस टैग Die Cut से तैयार किया जायेगा। स्पेशल एड्रस टैग में बांईओर एक आयलेट छिद्र भी लगेगा ताकि उस आईलेट छिद्र में आसानी से धागा डाला जा सके। इसी प्रकार दांयी ओर ऊपर से आधा सेमी. हिस्सा छोड़कर 1.5 सेमी. वर्टिकल एवं 1 सेमी. होरीजेन्टल चित्रानुसार Die Cut किया जायेगा। इसी प्रकार उपरोक्त माप के अनुसार बीच में भी Die Cut किया जायेगा। नीचे के भाग में दोनों विषयवस्तु प्रिन्ट की जायेगी यथा **CU ID No. ....एवं Sl. No. UK- 00001 से (Five Digit) 50000** तक नम्बरिंग की जायेगी।

3. उपरोक्तानुसार निर्धारित माप एवं मात्रा में अन्तिम रूप से तैयार किए गए स्पेशल एड्रस टैग के क्रमबद्ध रूप से 100—100 एड्रस टैग की आईलेट में धागा डालकर माला के रूप में पैकेटिंग की जायेगी। स्पेशल एड्रस टैग का नमूना किसी भी कार्यदिवस और कार्यालय समय पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में देखा जा सकता है।

4. सशर्त कोई भी कोटेशन स्वीकार्य नहीं होगा।

5. नियमानुसार न्यूनत्तम दर के आधार पर अंतिम रूप से सफल कोटेशन दाता को कार्यादेश जारी होने के पश्चात निर्धारित मात्रा में स्पेशल ऐड्रेस टैग की 10 दिन के अन्दर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी।

6. निर्धारित माप, मात्रा एवं गुणवत्ता के साथ सन्तोषजनक आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के पश्चात ही नियमानुसार संबंधित देयकों का यथा समय भुगतान किया जाएगा। भुगतान के समय नियमानुसार टी.डी.एस. आदि की कटौती भी सुनिश्चित की जाएगी।

7. कोटेशन में दर सभी करों सहित सम्मिलित होनी चाहिए, अर्थात (Rate Inclusive All Taxes) अंकित करें।

8. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त किसी भी कोटेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9. कोटेशन संबंधी सील्ड लिफाफा स्पीड पोस्ट से, अथवा कोरियर से, अथवा व्यक्तिगत रूप से उक्त नियत तिथि एवं समय तक किसी भी कार्यदिवस और कार्यालय समय में प्रस्तुत किया जा सकता है।

10. स्पेशल ऐड्रस टैग का नमूना किसी भी कार्यदिवस और कार्यालय समय पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में देखा जा सकता है।

11. इच्छुक आपूर्तिकर्ता फर्म आदि को निम्न तालिका में अपनी फर्म के लैटर हेड पर सील्ड लिफाफे में अपना कोटेशन प्रस्तुत करना होगा :—

क्रं. सं.	सामग्री का विवरण	कुल मात्रा	समस्त कर सहित दर प्रति नग (Rate per Unit Inclusive All Taxes)	कुल धनराशि (अंको एवं शब्दों में)
1.	निर्धारित डिजाइन, माप एवं गुणवत्ता सहित 180 GSM के सफेद कार्ड पेपर पर स्पेशल एड्रस टैग की छपाई—आपूर्ति।	50,000		

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।